बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

वर्ष 2003-2004 का बजट प्रस्तुत करते हुए मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। लगातार दस बजट पेश करने का सौभाग्य मुझे मिला। पिछली सदी के अंतिम वर्षों में देश आर्थिक संकटों से घिरा था। प्राकृतिक आपदाओं की चपेट के साथ अनेकों कारण थे, जिनका प्रतिकूल प्रभाव पूरे देश के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। एक तरह से पूरा विश्व ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। ऐसे समय में मध्यप्रदेश की आर्थिक स्थिति को संतुलित रखते हुए विकास की आधारभूत संरचना का निर्माण कठिन दायित्व था। संतोष का विषय है कि आर्थिक संकट के दौर में भी हमने मध्यप्रदेश के विकास की मजबूत आधारशिला तैयार की है। दुनिया में हो रहे बदलावों को दृष्टि में रखते हुए प्रदेश सरकार ने सामाजिक क्षेत्र के साथ-साथ अधोसंरचना पर भी बल दिया। हमने यह सुनिश्चित किया कि विकास के लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे।

2. जनतंत्र का आधारभूत तत्व 'जन' होता है। इस जन की प्रतिष्ठा स्थापित करने की कोशिशों का परिणाम जिला सरकार, ग्राम स्वराज और भोपाल घोषणा पत्र है।

3. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति संतुलित रखने में सरकार की सफलता का आंकलन तो करें, साथ ही भावी विकास की आधारभूत संरचना का मूल्यांकन भी इसी दृष्टि से करें।

प्रदेश सरकार ने शुरू से ही यह सुनिश्चित किया कि प्रदेश के विभिन्न भागों में सर्वांगीण विकास की गतिविधियों में तेजी लाई जाये। इस संकल्प के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों का विकास तथा उन्हें समाज में सम्मान दिलाने, बराबरी के अवसर उपलब्ध करानें, महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने, औद्योगिक विकास, ऊर्जा, सड़क और पानी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेकों महत्वपूर्ण क़दम उठाये गए हैं। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश के किसानों को विश्व बाजार की प्रतिस्पर्धा में खड़ा करने के लिए अपनाई गई नीतियों के परिणाम सामने आने लगे हैं। कई क्षेत्रों में निवेश तथा उत्पादकता की अवधि लम्बी होने से कार्यो के सुखद परिणाम भविष्य में देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे। इन तथ्यों का मैं विस्तार से उल्लेख आगे करुंगा।

4. बीसवीं शताब्दी के आखिरी दशक के प्रारंभ में जबकि समूचा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था, राज्य की वित्तीय स्थिति संतोषप्रद थी। उस दौरान इस सदन में उपस्थित बहुत कम महानुभावों ने कल्पना की होगी कि केन्द्र सरकार की आर्थिक समस्याएं राज्यों को भी अपने ग्रास में शीघ्र ही ले लेंगीं। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारी व्यवस्था संवैधानिक ढांचे पर आधारित है जिसमें केन्द्र और राज्यों का तानाबाना जुड़ा हुआ है।

5. राज्य की वित्तीय स्थिति पर इसी सदन में हमनें श्वेतपत्र जारी कर राज्य की जनता को आश्वस्त किया था कि बिगड़ी हुई वित्तीय स्थिति को शीघ्र ही संतुलित किया जाएगा तथा प्रदेश के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जायेगी।

आज इस सदन में उपस्थित समस्त महानुभावों को मुझे यह बताने में हर्ष हो रहा है कि श्वेतपत्र से उभर कर आये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने जो समग्र रणनीति अपनायी उससे हम राजस्व एवं राजकोषीय घाटे में कमी लाने में सफल हुए हैं। वर्ष 1998-1999 में राजस्व और राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का क्रमश: 3.16 एवं 4.55 प्रतिशत था जो वर्ष 2000-2001 में घटकर क्रमश: 1.48 एवं 3.05 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2003-2004 में यह क्रमश: 0.63 एवं 4.19 प्रतिशत रहने की संभावना है। यह सुधार निरन्तर जारी रहेगा।

6. प्रदेश के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सामाजिक, मानव विकास तथा अधोसंरचना के क्षेत्रों में अधिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार का संकल्प है कि हम प्रदेश के सामाजिक सूचकांको को राष्ट्रीय स्तर से बेहतर करेंगे। प्रदेश को पिछले चार वर्ष से निरंतर भीषण सूखे का सामना करना पड़ा है। इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जनता को तत्परता से बड़े पैमाने पर राहत पहुचाने के लिये हमें वित्तीय व्यवस्था करनी पड़ी। इससे विकास की रफ्तार जरूर प्रभावित हुई है, परंतु इस दिशा में हमनें विशेष ध्यान देते हुए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था की है। हमने जनता से जो वादे किये थे उन्हें हमने पूरा किया। विगत चार वर्षो के बजट प्रस्तुत करते समय हमसे जो उम्मीदें थीं, उन्हें साकार करने में हम सफल हुए हैं। यहॉ पर मुझे गालिब की ये पंक्तियां याद आती है :-

तदबीर के दस्ते ज़र्रे से, तक़दीर दरकशां होती है,

क़ुदरत भी मदद फ़रमाती है, जब कोशिशें इन्सां होती है।

7. मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लगातार तीसरा मानव विकास प्रतिवेदन जनता को समर्पित किया है, जिसकी सराहना कई स्तरों पर हुई है। मानव विकास प्रतिवेदन के माध्यम से एक ऐसा दस्तावेज जनता के सामने प्रस्तुत किया गया है, जो हमारे प्रदेश के विभिन्न भागों के बारे में यथा स्थिति सामने रखता है। यह प्रतिवेदन विकास की रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हमारा अगला प्रयास यही होगा कि आने वाले समय में मध्यप्रदेश पूर्ण विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाये। स्वामी विवेकानन्द ने आव्हान किया था कि,

"Arise! Awake and stop not, till the goal is reached."

उठो, जागो और रुको मत, जब तक लक्ष्य हासिल न हो

आर्थिक स्थिति

8. वर्ष 2002-2003 की राज्य योजना सीमा रूपये 4749.78 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2003-2004 में रूपये 5901.75 करोड़ निर्धारित की गई है। यह योजना सीमा विगत वर्ष की तुलना में 24.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। यह राज्य की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का द्योतक है। योजना के लिये अधिक राशि उपलब्ध कराने की दृष्टि से हमने गैर योजना मद के ख़र्चों को कम करने के लिये जो मुहिम चलाई थी, उसे अगले वर्ष भी जारी रखा जायेगा। हमने यह सुनिश्चित किया है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या में अनावश्यक वृद्धि न हो एवं उपलब्ध अमला अधिक उत्पादकता के साथ कार्य करे। इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। 1998-99 में आयोजनेत्तर व्यय राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में 1.04 से घटकर वर्ष 2000-2001

में 0.90 रह गया। वर्ष 2003-2004 में यह और कम होकर 0.78 होने की उम्मीद है। वर्ष 98-99 की तुलना में वर्ष 2002-2003 में कुल राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में वेतन एवं भत्तों का खर्चा 54.00 प्रतिशत से घटकर 38.05 प्रतिशत हो गया है। इससे जाहिर है कि हम भविष्य के लिये एक ऐसी बुनियाद रखने में सफल हुये हैं, जिससे विकास की गति और बढ़ेगी तथा निजी एवं सार्वजनिक निवेश के लिये अनुकूल वातावरण बनेगा।

9. प्रचलित भावों के आधार पर राज्य का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2000-2001 के रूपये 63,889.55 करोड़ की तुलना में वर्ष 2001-2002 में रूपये 71,594.40 करोड़ अनुमानित है। यह गत वर्ष से 12.1 प्रतिशत अधिक है।

10. प्रचलित भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2001-2002 में रूपये 11,718 रही जबकि वर्ष 2000-2001 में यह 10,666 रूपये थी, इस प्रकार इसमें 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

11. 1993-1994 के स्थिर भावों के आधार पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में 1993-1994 से 2001-2002 तक की अवधि में राज्यीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 4.43 प्रतिशत तथा प्रतिव्यक्ति आय की वृद्धि दर 2.24 प्रतिशत रही।

12. हमारी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऋण लिये हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग ने मध्यम समयावधि के ऋण सामर्थ्य के निर्धारण के लिये एक मापदण्ड तय किया है, जिसके अनुसार ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 18 प्रतिशत से

अधिक नहीं होना चाहिये। वर्ष 2002-2003 में राज्य का यह अनुपात 16.99 प्रतिशत है जो निर्धारित मापदण्ड के भीतर है। साथ ही हमारा ऋण प्रबंधन देश के अधिकांश राज्यों की तुलना में बेहतर है।

13. अब मैं सदन में उपस्थित समस्त महानुभावों का ध्यान राज्य के विकास की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

शिक्षा

14. हमने प्रदेश में साक्षरता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संकल्प लिया था कि अल्प समय में हम इसमें सुधार लायेंगे, ताकि हमारे बच्चों को सुगमता से शिक्षा प्राप्त हो सके। इस संकल्प को मूर्तरूप देने के लिए पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में निवेश निरंतर बढ़ाया है तथा यह बढ़ोतरी वित्तीय वर्ष 2003-2004 में भी जारी रहेगी।

15. सरकार के प्रयासों का परिणाम यह रहा कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमें सफलता मिली और हमने अपने वादे निभाए। प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्रत्येक बसाहट के एक किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध कराने के हमारे संकल्प के पूर्ण होने के उपरांत, अब माध्यमिक शिक्षा को सर्वव्यापी करने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है। प्रत्येक तीन किलोमीटर की परिधि में एक माध्यमिक शाला खोलने के इस कार्यक्रम के तहत अब तक 7575 माध्यमिक शालाएं खोली जा चुकी हैं, तथा वित्तीय वर्ष 2003-2004 में 3700 नवीन माध्यमिक शालाएं खोली जाएंगी।

16. अपने वादे के अनुसार प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अगले शैक्षणिक सत्र में शासकीय माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत सभी छात्राओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तके नि:शुल्क उपलब्ध कराई जायेंगी।

17. 2002-2003 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की ओर ध्यान केन्द्रित करते हुए चार सौ हाई स्कूल तथा सत्तर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गए। शासकीय विद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में एक उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना भी की गई।

18. शिक्षा गारंटी कार्यक्रम द्वारा हमने मध्यप्रदेश में साक्षरता के सूचकांक में सुधार करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मध्यप्रदेश में लगभग 31,000 गुरूजी प्रशंसनीय सेवा उपलब्ध करा रहें है। उन्हें प्रोत्साहित करने की दृष्टि से हमने निर्णय लिया है कि इनका मानदेय 1000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1250 रूपये प्रतिमाह किया जाय। इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिये स्थानीय समुदायों को दिये जा रहे अनुदान में आवश्यक वृद्धि की जायेगी। प्रदेश में लगभग 51,000 शिक्षाकर्मी कार्यरत हैं, जिनके वेतन बढ़ाने के संबंध में समय समय पर मांग की गई हैं। इनकी सेवाशर्तों तथा वेतन आदि के संबंध में विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई है। इस समिति की रिपोर्ट आने पर राज्य सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा।

19. प्रदेश सरकार ने हिन्दी की शिक्षा के साथ संस्कृत शिक्षा को भी महत्व दिया है। ऊर्दू, फ़ारसी और अरबी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। संस्कृत शिक्षा बोर्ड को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई गई है तथा मदरसा बोर्ड के लिए भी वित्तीय व्यवस्था की गई है।

20. महात्मा गांधी ने शिक्षा के साथ व्यावसायिक हुनर को जोड़ने पर ज़ोर दिया था। प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के साथ हमने शिक्षा को व्यावसायिक पाठ्यक्रम से और अधिक जोड़ने के लिये कदम उठाये हैं। इसके तहत एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठित किया गया है। जिसके सुझावों पर क्रियान्वयन किया जा रहा है।

चिकित्सा शिक्षा

21. चिकित्सा शिक्षा के विकास के लिए चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर एवं भोपाल में ट्रॉमा ईकाई तथा चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में कैथलैब की स्थापना की गई है। कैंसर के उपचार के लिए विशेष व्यवस्था विकसित करने के लिए बजट में रूपये 8.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संजय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय रीवा का निर्माण कार्य अब पूर्ण हो गया है और इसका संचालन प्रारंभ हो गया है।

22. चिकित्सा तथा नर्सिंग महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आकर्षक पैकेज स्वीकृत किए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता कर महाविद्यालयों की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

23. प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। हमने परम्परागत पाठ्यक्रमों को बदलते हुए रोजगार से संबंधित शिक्षा को विशेष महत्व दिया है। स्व-वित्तीय योजना के अंतर्गत महाविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं।

24. जनता से किये गए वादे अनुसार प्रदेश में तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु निजी महाविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है ताकि तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और सुलभ हो सकें। प्रदेश के इंजीनियरिंग तथा पॉलिटेकनिक महाविद्यालयों में अधोसंरचना विकास के लिए नई योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें रूपये 10.00 करोड़ का प्रावधान रखा जा रहा है। संभागीय मुख्यालयों में ऑन-लाइन काउंसलिंग द्वारा तकनीकी महाविद्यालयों में प्रवेश की व्यवस्था इस वर्ष से लागू की गई है।

नागरिक एवं जन सेवाएं

25. सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ लेते हुए हम ई-गवर्नेस की ऐसी व्यवस्था लागू कर रहे हैं जिससे नागरिकों को जन सेवाएं सुगमता, सुलभता एवं सस्ते दर पर उपलब्ध हो सकें। इससे हम बड़ी संख्या में स्वरोजगार के नये अवसर निर्मित कर रहे हैं। धार जिले में चल रही ज्ञानदूत योजना को प्रदेश के 20 अन्य जिलों में लागू कर दिया गया

है। शासन के विभिन्न विभागों एवं जिलों की वेबसाईट को समाहित करते हुए राज्य शासन का पोर्टल ज्ञानधारा स्थापित किया जा रहा है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

26. 1998 में हमने स्वास्थ्य सेवाओं को विकेन्द्रीकृत करते हुये यह वादा किया था कि ग्रामों में प्रशिक्षित जन स्वास्थ्य रक्षक तथा सुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करायेगें। इसके तहत हमने गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करायी हैं। प्रदेश के सुदूर ग्रामों में, जहां सुलभ चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां प्रशिक्षित जनस्वास्थ्य रक्षक तथा प्रशिक्षित दाई की व्यवस्था की गई है। सरकार के इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है।

27. प्रदेश के 11 जिलों में क्षेत्रीय नैदानिक केन्द्रों की स्थापना के लिए 33 करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे।

28. नये जिलों की आवश्यकता को देखते हुए चार जिलों में 100 बिस्तरीय चिकित्सालय बनाये जायेंगे। मलेरिया पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मण्डला, शहडोल, बैतूल एवं झाबुआ में विशेष व्यवस्था की जा रही है तथा डिंडौरी, श्योपुर, नीमच, उमरिया, खरगौन एवं हरदा जिलों में जिला मलेरिया कार्यालय खोले जाएंगे।

29. स्वास्थ्य सेवाओं के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन के लिए राजीव गांधी सामुदायिक स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया है जिसके तहत हम अपने दूर-दराज इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगें। इसपर रुपये 136 करोड़ का व्यय संभावित है।

कुछ जिलों में चलाई गई प्रजनन शिशु स्वास्थ्य एवं विकास परियोजना की सफलता को देखते हुये द्वितीय चरण में 48 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत की गई है, जो जून 2003 से प्रारंभ की जाएगी।

30. प्रदेश में उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के लिये 2003-2004 में 40 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

31. भोपाल, इन्दौर तथा जबलपुर शहर की झुग्गी व निर्धन बस्तियों में रहने वाले परिवारों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिये 11 करोड़ रूपये की लागत से नगरीय स्वास्थ्य सेवा प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

महिला एवं बाल विकास

32. प्रदेश सरकार के लिये महिला एवं बाल वर्ग हमेशा विकास नीति का केन्द्र बिन्दु रहा है। कुपोषण की सघन जांच और उससे बचाव के लिए सितम्बर, 2002 में बाल संजीवनी अभियान प्रारम्भ किया गया। भारत सरकार द्वारा केयर एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न पर रोक लगाने के कारण 15,746 आंगनवाड़ियों को पूरक पोषण आहार हेतु राज्य शासन ने अपने संसाधनों से 2002-2003 वर्ष में रूपये 7 करोड़ की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई है। यह जिम्मेदारी हम आगामी वर्ष में भी निभायेंगे।

33. आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लगभग 47.16 लाख हितग्राही लाभांवित किये जा रहे हैं। दहेज, बाल विवाह तथा बालिकाओं के प्रति भेदभाव आदि के विषयों पर

समाज के चिंतन और व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए जागृति शिविरों का आयोजन करके जनचेतना उत्पन्न की जा रही है।

34. महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के उद्देश्य से संशोधित महिला नीति तैयार कर ली गई है। महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में बजट भाषण के द्वितीय भाग में, मैं कुछ विशेष व्यवस्था आपके सामने रखूंगा।

पंचायती राज व्यवस्था

35. हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था **वास्तविक लोकतंत्र ऊपर से नहीं थोपा जा सकता है, बल्कि ज़मीनी स्तर से निर्मित होता हैं। और भारत में तो यह विचार बाहरी नहीं, बल्कि इस धरती से जुड़ा है। पंचायतें हमारे लोकतंत्र की आधारशिला हैं और इस संस्था को हमें बेहतर बनाना है।`**

36. इसी के अनुरुप हमारा संकल्प रहा है कि हम पंचायतों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करेंगे। उन्हें प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार सौपेंगे तथा ग्राम स्वराज स्थापित करेंगे। जैसा कि सभी माननीय सदस्य अवगत हैं पंचायती राज को साकार करने में मध्यप्रदेश सबसे अग्रणी रहा है। मध्यप्रदेश में न केवल इन संस्थाओं की स्थापना की गई है, अपितु उन्हें सशक्त भी किया गया। इसके लिये अधिकारों का विकेन्द्रीकरण कर पंचायतों को अधिकार सौपे गये है। जिम्मेदारी निर्वाह करने के लिए आवश्यक धनराशि पृथक से सीधे उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश

के सभी भागों में अल्प समय में ही इन पंचायती राज संस्थाओं ने आशाओं के अनुरूप कार्य किया है। हर स्तर पर पंचायत के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है। मैं इस व्यवस्था से जुड़े सभी पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को बधाई देना चाहूंगा। शासन ने यह निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल 2003 से पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की जाय।

37. जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का मासिक मानदेय रूपये 1500 तथा 1000 से बढ़ाकर क्रमश: रुपये 2000 एवं 1500 किया गया है। इसी प्रकार जनपद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का मासिक मानदेय रुपये 750 एवं 500 से बढ़ाकर क्रमश: रुपये 1250 एवं 1000 किया गया है। सरपंच का मासिक सेवा भत्ता रुपये 150 से बढ़ाकर रुपये 350 किया गया है।

38. नई व्यवस्था में जन प्रतिनिधियों के साथ संस्थाओं से जुड़े कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिये पंचायत कर्मियों को 1000 रूपये प्रतिमाह का जो मानदेय दिया जाता है, उसे बढ़ाकर 1250 रूपये किया जायेगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति विकास

39. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण के कार्यक्रम हमेशा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रहे हैं। हमारा विश्वास है कि इस वर्ग के सर्वांगीण विकास के बिना प्रदेश का विकास पूरा नहीं हो सकता। इस वर्ष आदिवासी उपयोजना को

बढ़ाकर 979.26 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार विशेष घटक योजना के तहत प्रावधानित राशि को बढ़ाकर रुपये 644.36 करोड़ किया गया है। राशि का उपयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के शैक्षणिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार के अवसर, उन्नत कृषि, सिंचाई की व्यवस्था तथा अन्य विकास कार्यों में मुहैया कराने में किया जायेगा।

40. भोपाल घोषणा पत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिए हमने एक परिकल्पना देश के सामने रखी । इसकी सराहना स्वयं तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में की थी। इस परिकल्पना को क्रियान्वित करने के लिए इस बजट में हमने विस्तृत व्यवस्था की है, जिसके तहत जहां एक ओर सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर स्वरोजगार के उपाय बढ़ाए जाएगें। भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को वंटन के लिये शासकीय भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में भूमि खरीदकर उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु बजट में रुपये 37.50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के भवनों के लिये संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। जहां एक ओर शुष्क शौचालयों को जलप्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने की व्यवस्था की गई है वहीं दूसरी ओर वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना के अतंर्गत आवास बनाने का प्रावधान किया गया है।

41. शासन का यह मानना है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इस दृष्टि से इस बजट में 100 नये उत्कृष्ट बालक एवं बालिका छात्रावास बनाने का प्रावधान किया गया है। हमने यह भी प्रावधान किया है कि नौंवी कक्षा में प्रवेश पर प्रति छात्रा 1,000 रूपये एवं ग्यारहवी कक्षा में प्रवेश पर 2,000 रूपये उपलब्ध करायेंगे। कन्याओं के लिये कक्षा 1 से 5 तक राज्य छात्रवृत्ति के लिए प्रावधान किया गया है।

42. आदिवासी क्षेत्र में 2500 ग्रेन बैंक भी बनाये जायेंगे।

43. शासकीय संस्थाओं द्वारा तीस प्रतिशत की खरीदी इन वर्गो के व्यवसायियों से करने का निर्णय लिया गया है, तथा आगामी पांच वर्षो में इस वर्ग के 25,000 बेरोजगार हितग्राहियों को चयनित कर उद्योग व्यवसाय का मालिक बनाया जाएगा। 1,500 होनहार युवकों एवं युवतियों को कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम के लिए 6 माह के कोर्स की फीस का भुगतान शासन द्वारा किया जावेगा। 100 विद्यार्थियों को पी. एच. डी. अध्ययन के लिए 3 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति दी जायेगी। इसके अतिरिक्त और भी कई योजनाएं शामिल की गई हैं। हमें पूरा विश्वास है कि यह बजट अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के विकास के लिये मील का पत्थर साबित होगा।

अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण

44. प्रदेश सरकार का विश्वास है कि मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के समग्र विकास से ही प्रदेश के पूर्ण विकास का हमारा संकल्प साकार हो सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है।

45. प्रदेश सरकार द्वारा इमाम, पेश इमाम, एवं मुआज्जिमों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है और इसके लिए मसाजिद कमेटी के अनुदान में वृद्धि की जा रही है। वक्फ बोर्ड एवं हज कमेटी को दिये जाने वाले अनुदान में भी यथोचित वृद्धि की गई है।

46. अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित किये जाने वाले 10 नये व्यवसायिक महाविद्यालयों को स्वीकृति दी गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के स्वरोजगार के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं नगरीय रोजगार कार्यक्रमों में भी इस वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। पिछड़े वर्ग कल्याण की विभिन्न योजनाओं को और गति प्रदान की जायेगी।

सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन एवं नि:शक्तजन विकास

47. प्रदेश में नि:शक्तजन के विकास के लिए उनकी नि:शक्तता के अनुरूप कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। शासन कृतसंकल्प है कि नि:शक्तजनों को समाज में सम्मानजनक स्थान मिले जिससे वे समाज को बेहतर योगदान प्रदान कर सकें। इस हेतु शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों को हमने प्रोत्साहन दिया है।

48. राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का युक्तियुक्तकरण किया जाकर भारत सरकार की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के साथ एकीकरण किया गया है। सभी श्रेणी के पेंशनरों को एक समान दर से रूपये 150 प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।

कृषकों के लिये व्यवस्था एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियां

49. प्रदेश में फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों तथा उन्नत कृषि यंत्रों की व्यवस्था की जा रही है। पौध संरक्षण उपाय तथा कृषि की नवीन तकनीक प्रचार-प्रसार के माध्यम से किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं।

50. एक अभिनव पहल के तहत ग्राम सभा की कृषि स्थायी समिति का सदस्य/अध्यक्ष या समिति द्वारा नामित सदस्य को कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया गया है। प्रत्येक सोमवार सैटेलाइट के माध्यम से किसानों, कृषि विभाग के मैदानी अमले और वैज्ञानिकों के बीच दो घंटे की चर्चा भी कराई जा रही है।

51. हमने कृषकों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिये बीमा योजना लागू करने की घोषणा की थी। इस हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को वर्ष 1999-2000 के रबी मौसम से लागू किया गया। यह योजना ऋणी कृषकों के लिये अनिवार्य है, जबकि गैर ऋणी कृषकों के लिये स्वैच्छिक है। अभी तक 9.91 लाख किसानों को 131.47 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया जा चुका है।

52. रबी 2000-2001 में 8191 गैर ऋणी कृषकों ने अपनी फसलों का बीमा कराया था जबकि खरीफ 2002 में यह संख्या 52,874 हो गई है। इस प्रकार इस योजना में गैर ऋणी कृषक भी अब बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं एवं कीटव्याधि के कारण अधिसूचित फसल के नष्ट होने पर कृषकों को वित्तीय सहायता देने हेतु राज्य शासन कृत संकल्प है। इससे प्राकृतिक आपदा के वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखा जा सकेगा।

53. प्रदेश सरकार ने किसानों की उपजों के लिये विदेशी बाजारों में पहुंच के लिये निरंतर प्रयास किये हैं। इन प्रयासों के फलस्वरुप प्रदेश के लिये तीन कृषि निर्यात क्षेत्र स्वीकृत कराये गये हैं। प्रथम एग्री एक्सपोर्ट ज़ोन आलू, प्याज तथा लहसुन तथा शेष दो ज़ोन गेहूं और मसालों का निर्यात करेंगे।

54. इन कृषि निर्यात क्षेत्रों के माध्यम से किसानों के उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन तथा उनके निर्यात के लिये अपार संभावनायें विकसित होंगी। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा उद्यमियों, व्यवसायिकों तथा निर्यातकों को भी लाभ मिलेगा। हमारा प्रयास है कि ऐसे अन्य कृषि उत्पाद, जिनके निर्यात की संभावनायें विद्यमान हैं, के लिये भी कृषि निर्यात क्षेत्र की स्थापना की जाये।

पशुपालन

55. कृषि के अतिरिक्त कृषि आधारित गतिविधियों की ओर भी समुचित ध्यान दिया गया है। पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं पशु नस्ल सुधार के कार्य को महत्व दिया गया है।

कृषि के लिए अच्छे बैल उपलब्ध कराये जा रहे हैं। अब तक 14,867 गौ सेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जो गौधन की वृद्धि में कार्यरत हैं। 2,937 अनुसूचित जाति/जनजाति के हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया गया है। हमने गौ सेवा आयोग को दिए जाने वाले अनुदान को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर अगले वर्ष 150 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है।

सूखा राहत

56. अवर्षा से राज्य के व्यापक क्षेत्र में सूखे की स्थिति निर्मित हुई है। 33 जिलों की 195 तहसीलें सूखा प्रभावित घोषित है। हमने स्थिति को भांपते हुए अगस्त, 2002 में ही सूखे से निपटने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी। वर्षा ऋतु समाप्त होते ही छोटे नदी नालों में मिट्टी के कच्चे बांधों का निर्माण कार्य शुरू किया गया। राहत कार्यक्रमों के अंतर्गत रोजगार के लिए आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध कराई जा रही है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पीने का पानी, खाद्यान्न की उचित व्यवस्था, तथा चारा एवं भूसा क्रय करने के लिए रोलिंग फण्ड के रूप में जिलों को राशि उपलब्ध कराई गई है। लगभग 60 हजार राहत एवं विभागीय कार्य चल रहे हैं जिनमे लगभग 10 लाख व्यक्तियों को प्रतिदिन रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। यहां मैं यह निवेदन अवश्य करना चाहूंगा कि हमें भारत शासन से अपेक्षित मात्रा में खाद्यान्न न मिलने से इस कार्य में कठिनाई हुई, जिससे निपटने के लिये हमें अपने स्त्रोतों से व्यवस्था करनी पड़ी। इसके बावजूद हमनें जहां भी आवश्यक हुआ वहां राहत पहुंचाई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

57. प्रदेश में व्यापक सूखे के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब परिवारों हेतु रियायती दरों पर इस वर्ष जनवरी माह तक 9.21 लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत 3.85 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश के व्यापारी आसानी से खाद्यान्नों का व्यापार कर सकें इस दृष्टि से मध्य प्रदेश अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश 1991 तथा मध्य प्रदेश आवश्यक वस्तु (मूल्य प्रदर्शन तथा मूल्य नियंत्रण) आदेश 1977 विखंडित किये गये है। भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर प्रदेश के व्यापारियों को दाल भण्डारण नियंत्रण आदेश, 1977 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से छूट दी गयी है।

कृषकों के लिये सिंचाई की व्यवस्था

58. मध्यप्रदेश जैसे प्रदेश के लिए जलसंरक्षण और सिंचाई की व्यवस्था में बढ़ोत्तरी करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले कुछ वर्षो में जहां एक ओर जनभागीदारी से सफलतापूर्वक हमने प्रदेश के कोने-कोने से जलसंरक्षण के कार्य किए, वहीं दूसरी ओर सिंचाई के साधन बढ़ाने की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। दिसम्बर 2002 अंत तक ही हमने 50,000 हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने की क्षमता निर्मित कर, एक कीर्तिमान बनाया है। सिंचाई एवं जल के समन्वित विकास एवं उपयोग के लिए तथा सिंचाई की वृद्धि के लिए आधुनिकीकरण की योजनाओं को क्रियान्वित करने की भी व्यवस्था की गई है। सिंचाई की क्षमता में एक वर्ष में इतनी अधिक वृद्धि

करने के पश्चात् आगामी वर्ष में सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए लगभग 200 नये तालाबों के निर्माण का कार्य लिया जाना प्रस्तावित है। इन तालाबों के निर्माण से 40,000 हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई होगी जो साल में वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजना द्वारा निर्मित की जाने वाली 39,000 हैक्टेयर क्षमता के अतिरिक्त होगी।

59. सिंचाई के लिए अधोसंरचना निर्माण करने के पश्चात् इसके संधारण हेतु सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी की गई है। इससे कृषकों में इन योजनाओं के प्रति स्वामित्व की भावना जागृत हुई है। कृषकों की प्रबंध समितियों को अनुरक्षण हेतु समुचित राशि उपलब्ध कराई गई है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत बड़े पैमाने पर नहरों के रख-रखाव एवं सुधार के कार्य हाथ में लिये गये है, जिनके अच्छे परिणाम सामने आये हैं। पुराने बांध, जिनके अनुरक्षण के लिये विशेष व्यवस्था आवश्यक है, के लिये एक नया मद खोलकर राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

60. नर्मदा घाटी विकास विभाग के अन्तर्गत निर्माणाधीन वृहद परियोजना के लिये धन की पर्याप्त व्यवस्था कर गति प्रदान करने में हम सफल रहे हैं। अब तक परियोजनाओं के लिये नाबार्ड से रुपये 698 करोड़ एवं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत रुपये 946.06 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत करायी गई है।

61. वर्ष 2002-2003 में रानी अवन्ति बाई सागर परियोजना के अन्तर्गत 45,000 हैक्टेयर एवं मान परियोजना के अन्तर्गत 2,000 हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है। वर्ष 2003-2004 में इन्हीं परियोजनाओं में क्रमशः 64,000 हैक्टेयर एवं 15,000 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित की जायेगी।

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने एवं अधोसंरचना विकास के कार्यक्रम

62. प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। स्वरोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए 144750 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा इन्हें रूपये 179.88 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

63. संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश ने अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। इसमें वित्तीय वर्ष के अन्त तक 530 लाख मानव दिवस सृजित होगें।

64. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक 232 ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य पूर्ण किया है। हमारी आशा है कि अभी तक स्वीकृत सभी कार्य जून 2003 तक पूर्ण हो जाएगें। ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता की सराहना भारत शासन द्वारा नामित स्वतंत्र पर्यवेक्षकों द्वारा की गई है। भारत शासन द्वारा किये गये सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाली सबसे ज्यादा सड़कें मध्यप्रदेश में पाई गई। केन्द्र शासन से वर्ष 2001-2002 में प्राप्त आवंटन का उपयोग करने में मध्यप्रदेश की स्थिति देश में सबसे ऊपर रही है। अगले वर्ष के बजट में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए मध्यप्रदेश शासन के स्त्रोतों से 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।

वन आधारित रोजगार एवं वन विकास

65. हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश में प्रचुर मात्रा में वन संपदा उपलब्ध है। इस संपदा को हम आय का स्त्रोत न मानते हुए दूर दराज इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वनवासियों की धरोहर मानते हैं, जिसके आधार पर लाखों लोगों की जीविकोपार्जन के साधनों का संवर्द्धन किया जा सकता है। इस दृष्टि से हमने संयुक्त वन प्रबंधन के अनूठे प्रयोग को आगे बढ़ाया है और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के साथ वनों के दोहन के लाभ को बांटने का कार्यक्रम हाथ में लिया है। इस कड़ी में बालाघाट जिले में ही संयुक्त वन समितियों को बांसकूपों के उत्पादन से प्राप्त 32 लाख रूपये लाभांश का वितरण किया गया है।

66. सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करने हेतु छोटे झाड़/बड़े झाड़ के जंगल के रुप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज जमीनों को भूमिहीन व्यक्तियों के समूहों को वनीकरण गतिविधियों हेतु उपलब्ध कराया जाए। इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से इन समूहों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं निवेश राशि उपलब्ध कराकर, स्थानीय आवश्यकता एवं वाणिज्यिक दृष्टि से अनुकूल वनीकरण किया जायेगा। इससे जहां एक ओर पर्यावरण सुधरेगा वहीं दूसरी ओर लोगों को आजीविका का साधन भी मिलेगा।

67. वनीकरण की योजना के क्रियान्वयन से हमने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया है तथा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया है। बिगड़े वनों के वनीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। इस वर्ष बांस के बिगड़े वनों के सुधार का विशेष प्रयास

किया गया है, जिससे प्रत्येक जिला बांस की उपलब्धता में आत्मनिर्भर हो सके तथा बांस पर आश्रित बसोड़ अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकें।

ग्रामीण शिल्पियों का विकास तथा ग्रामोद्योग

68. प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित होने के कारण हमनें ग्रामोद्योग को पर्याप्त महत्व दिया है। यह इसलिए आवश्यक है कि ग्राम स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो ताकि लोगों को रोजगार की तलाश में शहर न जाना पड़े। प्रदेश में एक अभिनव परियोजना विन्ध्यावेली ब्राण्ड प्रारंभ की गई है, जिसके तहत हमारा प्रयत्न है कि इस क्षेत्र के उत्पादन को आधुनिक तरीके से पैकेज कर बाजार में उपलब्ध कराया जाये ताकि निर्माताओं को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिले।

बेरोजगारी भत्ता

69. विकास की रणनीति के माध्यम से हम ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर निर्मित करते आ रहे हैं। सेवाओं में नई संभावनाओं को देखते हुये और नये कार्यक्रम लिये गये हैं। इन सभी से हम अपने नवयुवकों एवं नवयुवतियों को रोजगार के अधिकाधिक साधन उपलब्ध करा पायेंगे। जो व्यक्ति इन अवसरों का तुरन्त लाभ नहीं ले पाते हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता रुपये 300 प्रतिमाह से बढ़ाकर रुपये 500 प्रतिमाह दिया जाना प्रस्तावित है।

वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम

70. राज्य शासन द्वारा इंदौर के निकट विशेष आर्थिक ज़ोन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह ज़ोन 1,000 हैक्टेयर से अधिक भूमि पर विकसित किया जा रहा है। विश्वव्यापीकरण एवं उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र से निर्यात को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। देश की ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में से इन्दौर विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अग्रणी स्थान पर है। राज्य में तीव्र गति से औद्योगीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। श्रमिकों को न्याय सुलभ कराने के लिए नरसिंहपुर, होशंगाबाद, दमोह एवं छतरपुर में श्रम न्यायालय गठित किए गए हैं।

अधोसंरचना विकास

71. प्रदेश सरकार का प्रयास रहा है कि अधोसंरचना विकास के कार्यों को गति दी जाये। इससे जहां एक ओर रोजगार के साधन बढ़ेंगे वहीं दूसरी ओर सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। जैसा मैंने पूर्व में कहा है इस बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाकर इस क्षेत्र के लिये विशेष व्यवस्था की गई है।

सड़क एवं पुल निर्माण

72. किसी भी प्रदेश के विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सड़क निर्माण के लिए बॉण्ड बी. ओ. टी. योजना, केन्द्रीय सड़क निधि, मण्डी निधि तथा प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से कार्य हाथ में लिया गया है। मण्डियों से उपलब्ध

राशि से 115 करोड़ रुपये व्यय कर 850 किलोमीटर सड़क का कार्य पूर्ण किया गया है। अन्य 4,000 किलोमीटर पर कार्य तीव्र गति से चल रहा है।

73. इस प्रकार प्रदेश में राज्य मार्गों में 3160 किलोमीटर की लंबाई पर तथा 4888 किलोमीटर मुख्य जिला मार्गो पर सुधार एवं निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2003-2004 के दौरान ऐसे सभी राज मार्गों तथा मुख्य जिला मार्गों के सुधार का कार्य हाथ में लिया जाए जहां सुधार की आवश्यकता है। इसके लिये बजट में दो सौ करोड़ रूपये का नया प्रावधान राज मार्गो एवं मुख्य जिला मार्गो के उन्नतिकरण, नवीनीकरण एवं डामरीकरण के लिए किया गया है। इस वर्ष लोक निर्माण विभाग ने 60 पुल बनाने का कार्य हाथ में लिया है तथा अगले वर्ष के लिये 70 पुल बनाने का लक्ष्य रखा है।

ऊर्जा

74. जैसा कि आपको विदित है, राज्य पुनर्गठन के फलस्वरुप लगभग 67 प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन क्षमता ही मध्यप्रदेश में रह गई, जो अनुपातिक जनसंख्या विभाजन से कहीं कम है। इससे मध्यप्रदेश में बिजली का गंभीर संकट उत्पन्न हुआ। बिजली संकट से रातों-रात उभरा नहीं जा सकता, क्योंकि बिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए समय तथा धन की आवश्यकता होती है।

75. नई क्षमता का निर्माण एवं पारेषण, उप पारेषण तथा वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से ही इस संकट से उभरा जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में निवेदन करना

चांहूगा कि बाणसागर टोंस जल विद्युत परियोजना के 60 मेगावाट क्षमता के विद्युत गृह क्रमांक 3 की 20-20 मेगावाट क्षमता की तीनों इकाईयां कार्यशील हो गई हैं। बाणसागर टोंस के विद्युत गृह क्रमांक 4 की 10-10 मेगावाट क्षमता की दोनों इकाईयां जुलाई 2004 व अक्टूबर 2004 में चालू हो जावेगी। 60 मेगावाट क्षमता की निर्माणाधीन मड़ीखेड़ा जल विद्युत परियोजना की 20-20 मेगावाट क्षमता की प्रथम दो इकाईयां जुलाई 2004 में चालू हो जावेगी। 500 मेगावाट क्षमता की एक नवीन इकाई बिरसिंहपुर ताप गृह में लगाने का निर्णय लिया गया है। यह संभावना है कि इस इकाई से 2006-2007 तक उत्पादन प्रारंभ होगा। इस वर्ष अक्टूबर तक इन्दिरा सागर परियोजना से 250 मेगावाट बिजली उपलब्ध होने की स्थिति बनेगी।

76. पारेषण एवं वितरण सदृढ़ीकरण के लिए एशियन विकास बैंक द्वारा 20 करोड़ डालर का ऋण स्वीकृत किया गया है। नाबार्ड द्वारा 111.21 करोड़ रुपये लागत की पारेषण परियोजना एवं 40.97 करोड़ रुपये की लागत की उप पारेषण वितरण परियोजना के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है।

बिजली के संकट से स्थाई रुप से निपटने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम विद्युत बोर्ड के ढांचे की पुनर्संरचना करें। इस दृष्टि से प्रथमत: तीन संवितरण कम्पनी, एक पारेषण कम्पनी एवं एक उत्पादन कम्पनी का गठन किया गया है। इससे हर स्तर पर जवाबदेही बढ़ेगी।

78. विद्युत क्षेत्र में किये जा रहे सुधारात्मक प्रयासों के परिणाम आने में कुछ समय लगेगा। इस बीच राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत दरों से कम दरों

पर कृषकों एवं कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को बिजली मिल सकें इसके लिये हमने मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल को अनुदान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस हेतु वर्ष 2002-03 के पुनरीक्षित अनुमान में रुपये 915.69 करोड़ एवं वर्ष 2003-04 के बजट अनुमान में रुपये 486 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2003-04 में विद्युत मंडल को 615 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है।

पीने के पानी की सुगम उपलब्धता

79. प्रदेश सरकार कृतसंकल्पित है कि प्रदेश के सभी भागों, चाहे वह दूरदराज के गांव, बसाहटों या नगरीय क्षेत्र हों, में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। इस हेतु वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 3,18,916 नलकूप, हेण्डपंप एवं 6,968 नलजल योजनाओं, स्थल जल योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2003-2004 में 17,750 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की जायेगी। अगले वर्ष 4,000 ग्रामीण शालाओं में भी पेयजल व्यवस्था की जायेगी। विगत तीन वर्षो से अपर्याप्त वर्षा को देखते हुये भू-जल स्त्रोतों के लिये भू-जल संवर्धन एवं पुनर्भरण के कार्यों को महत्व दिया है। स्वजलधारा योजना के अंतर्गत 494 प्रस्ताव, जिनकी लागत रुपये 17.20 करोड़ है, केन्द्र शासन को स्वीकृति के लिये भेजे गये हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास

80. प्रदेश के 336 शहरों, कस्बों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2001-2002 में रूपये 118.70 करोड़ तथा वर्ष 2002-2003 में दिसम्बर 2002 तक रूपये 161.88 करोड़ उपलब्ध कराये गए हैं। अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में नागरिक सुविधाओं हेतु राशि रूपये 166.57 लाख उपलब्ध कराई गई है। दिसम्बर 2002 तक 4,63,247 शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किया गया है। सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिए रूपये 95.3 करोड़ का विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 13 शहरों में कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रुपये 17 करोड़ की लागत की 14 आवासीय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से 3,535 मकान निर्मित होंगे।

आवास एवं पर्यावरण

81. राज्य शासन द्वारा पुनर्घनत्वीकरण योजना के अन्तर्गत ली जाने वाली योजनाओं के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं। मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा इस दिशा में भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर शहरों में यह कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

82. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत प्रदेश की 7 नदियों के किनारे स्थित 11 नगरों उज्जैन, नागदा, इन्दौर, बुरहानपुर, भोपाल, विदिशा, मण्डीदीप, जबलपुर,

सिवनी, छपारा एवं केवलारी में विकास कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2003-2004 में 9 नदियों के किनारे स्थित 11 शहरों मण्डलेश्वर, औंकारेश्वर, होशंगाबाद, गंजबासौदा, नेपानगर, चित्रकूट, राजगढ़, सीहोर, शहडोल, मंदसौर एवं रीवा में भी विकास कार्य किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

संस्कृति एवं पर्यटन

83. मध्यप्रदेश ने सांस्कृतिक क्षेत्र में देश व विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। हमारी बहुरंगी सांस्कृतिक धरोहर के अनुरक्षण एवं विकास के लिए मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद का गठन किया गया है। इस व्यवस्था से हम मध्यप्रदेश की कला एवं कलाकारों को और अधिक प्रोत्साहित करने की स्थिति में होंगे। मध्यप्रदेश ने अपने सांस्कृतिक धरोहर की हिफ़ाज़त करने के लिये एक हेरिटेज विकास ट्रस्ट का गठन किया है। विकेन्द्रिकृत ईको टूरिज्म की नीति के तहत सफल परियोजनाओं को क्रियान्वित कर मध्यप्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भोपाल तक सीमित न रख कर विभिन्न जिलों में भी अब गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। हेरीटेज भवनों के सुधार एवं संधारण के लिये पहली बार विशेष व्यवस्था की गई है।

कर्मचारी कल्याण

84. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के शासकीय सेवकों को आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा अधिनियम में

संशोधन किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भर्ती का विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

85. प्रदेश सरकार ने पेंशनरों की तकलीफ को दूर करने के लिए पेंशन नियमों का सरलीकरण और पेंशन प्रकरणों के निराकरण अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया। दिनांक 1.10.2002 से सभी पेंशन प्रकरण अब जिला स्तर पर निराकृत किये जा रहे हैं। पेंशन प्रकरणों की नियमित समीक्षा करवाकर हजारों लंबित प्रकरणों का निराकरण कराया गया है। अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि पेंशनर को उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि के दो माह के भीतर सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध करा सकें।

86. शासकीय सेवकों के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा है। सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व सामान्य भविष्य निधि से 90 प्रतिशत राशि का आंशिक अंतिम विकर्षण करने का नियमों में प्रावधान किया गया है।

नियामक विभागों का सुदृढ़ीकरण

87. नियामक विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार से आम जनता सीधे लाभान्वित होती है। कानून एवं व्यवस्था तथा राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए हमें यह सुनिश्चित करना है कि अपराधियों द्वारा अपनायी जा रही आधुनिक तकनीक के परिप्रेक्ष्य में हमारा पुलिस बल आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित हो, पूर्णतः प्रशिक्षित हो तथा उसका मनोबल ऊंचा रहे। इसके लिए हमने पुलिस आधुनिकीकरण की

योजना हाथ में ली है जिसके तहत वर्ष 2002-03 के बजट में 106 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया अगले वर्ष में भी 106 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

88. आम जनता से बेहतर तालमेल रखने तथा उनकी समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से करने की दृष्टि से सभी तहसीलदारों को वाहन उपलब्ध कराये गए हैं। इससे कानून व्यवस्था कायम रखने में भी मदद मिलेगी। भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत प्रदेश के सभी ग्रामों के खसरे तथा बी-1 की डाटा एंट्री का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। भू-अभिलेखों की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां खातेदारों को वितरित की जा रही है।

89. सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मंदिरों के पुजारियों को दिये जा रहे मानदेय में वृद्धि की जाय। ऐसे समस्त मंदिर जिनके पास भूमि नहीं है उनके पुजारियों का मानदेय तीन सौ रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर पांच सौ प्रतिमाह रूपये किया जाएगा। जिन मंदिरों के पास पांच एकड़ तक भूमि है, उनके पुजारियों का मानदेय डेढ़ सौ रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर ढाई सौ रूपये प्रतिमाह किया जाएगा। जिन मंदिरों के पास पांच एकड़ से अधिक भूमि है उनके पुजारियों का मानदेय रुपये साठ प्रतिमाह से बढ़ाकर सौ रूपये प्रतिमाह किया जाएगा।

वाणिज्यिक कर

90. 1 अप्रैल 2003 से वैट कर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश की कर प्रणाली में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। कर सुधार का कोई भी प्रयास,

व्यापारी तथा आम नागरिकों के सक्रिय सहयोग के बगैर संभव नहीं है, इसलिए वैट कर प्रणाली लागू करने के पूर्व सुझाव एवं प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दिया गया। नई कर प्रणाली में प्रक्रियाएं सरल होंगी तथा ईमानदारी से कर चुकाने वाले व्यापारियों को सहूलियत होगी। स्वकर निर्धारण के माध्यम से विश्वास की नई परम्परा प्रारंभ की जा रही है।

91. विभाग के महत्वाकांक्षी कम्प्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इससे व्यवसायियों का रिकार्ड सुव्यवस्थित व अद्यतन रखा जा सकेगा। इस व्यवस्था से विभाग को कर संग्रहण में आसानी होगी।

92. समाचार पत्रों तथा रेडियो वार्ताओं द्वारा वैट प्रणाली से व्यवसायियों को अवगत कराया गया है। प्रारूप नियमों को वेब साइट पर प्रदर्शित किया गया है और समाचार पत्रों के माध्यम से सुझाव मांगे जा रहे हैं जिन पर विचारोपरांत अंतिम नियमों में उनका यथोचित समावेश किया जाएगा।

पुनर्वास

93. परियोजनाओं के क्रियान्वयन से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु हमारे द्वारा आदर्श पुनर्वास नीति दिनांक 3.9.2002 को लागू की गई है। इससे जहां एक ओर पारदर्शी नीति के तहत विस्थापितों को यह मालूम होगा कि उन्हें क्या सुविधाएं उपलब्ध है वहीं दूसरी ओर ऐसे व्यक्तियों के साथ हम न्याय

करेंगे जिनके घर एवं भूमि ऐसी परियोजनाओं के लिए अर्जित किए जा रहे हैं जिनका लाभ शायद उन्हें स्वयं न मिले।

94. कश्मीर से 164 विस्थापितों को प्रति व्यक्ति रूपये तीन सौ प्रतिमाह के मान से दी जा रही सहायता को बढ़ाकर रूपये चार सौ करने का निर्णय लिया गया है।

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास

95. राज्य शासन गैस पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रमों को तीव्र गति से संचालित कर रहा है। प्रतिवर्ष 25,000 से अधिक गैस पीड़ितों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के पुनरीक्षित अनुमान

96. महालेखाकार, मध्यप्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2001-2002 का समापन रूपये 309.07 करोड़ धनात्मक से हुआ। अनुमान है कि वर्ष 2002-2003 की संपूर्ण अवधि में शुद्ध संव्यवहार का परिणाम ऋणात्मक रूपये 753.73 करोड़ रहेगा, जिससे वर्ष 2002-2003 का समापन ऋणात्मक रूपये 444.66 करोड़ से होने की संभावना है।

97. वर्ष 2002-2003 में राजस्व प्राप्तियां मूल अनुमान रूपये 14,231.40 करोड़ के विरूद्ध रूपये 14,178.16 करोड़ संभावित है। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय रूपये

11,036.63 करोड़ के विरूद्ध अब रूपये 11,503.38 करोड़ अनुमानित किया गया है। कुल राजस्व प्राप्तियां मूल अनुमानों से थोड़ी कम हैं।

वार्षिक आयोजना 2003-2004 का वित्त पोषण

98. योजना आयोग द्वारा 2003-2004 के राज्य की योजना के आकार को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हमारे द्वारा वर्ष 2003-2004 में सामान्य योजना में रूपये 4,278.13 करोड़, आदिवासी उपयोजना में रूपये 979.26 करोड़ एवं विशेष घटक योजना में रूपये 644.36 करोड़, कुल रूपये 5,901.75 करोड़ का योजना प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2003-2004 के आयोजना बजट में राज्य आयोजना के अतिरिक्त भारत सरकार से प्राप्त होने वाली संभावित राशि के व्यय का प्रावधान भी रखा गया है। राज्य की आयोजना के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार के ऋण एवं अनुदान के रूप में रूपये 2528.90 करोड़ तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं, सामान्य भविष्य निधि आदि से रूपये 3257.60 करोड़, इस प्रकार कुल रूपये 5786.50 करोड़, के वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 का बजट अनुमान

99. वित्तीय वर्ष 2003-2004 में रूपये 15,863.50 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां अनुमानित हैं, जो वर्ष 2002-2003 के पुनरीक्षित अनुमान से रूपये 1,685.34 करोड़ अधिक है। वर्ष 2003-2004 में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के लिए रूपये 12,400.40 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2002-2003 के पुनरीक्षित अनुमान से

रूपये 897.02 करोड़ अधिक है। वर्ष 2003-2004 में लोक ऋण से शुद्ध प्राप्तियां रूपये 3,854.30 करोड़ अनुमानित है, जो वर्ष 2002-2003 के पुनरीक्षित अनुमान से रूपये 327.79 करोड़ अधिक है। लोक लेखा की शुद्ध प्राप्तियां वर्ष 2002-2003 के पुनरीक्षित अनुमान रूपये 289.19 करोड़ से घटकर रूपये 150.72 करोड़ होना अनुमानित हैं।

100. उपरोक्त वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप वर्ष 2003-2004 के आय-व्यय में रूपये 115.25 करोड़ का शुद्ध घाटा अनुमानित है तथा वर्ष 2002-2003 के अंतिम ऋणात्मक शेष रूपये 444.66 करोड़ को मिलाकर वर्ष 2003-2004 का अंतिम ऋणात्मक शेष रूपये 559.91 करोड़ संभावित है।

भाग - दो

अध्यक्ष महोदय,

1. 2001-2002 की तुलना में इस वर्ष हमारी राजस्व आय वर्ष अंत तक 26.58 प्रतिशत बढ़ना संभावित है । इसका मुख्य कारण करों का बेहतर प्रबंधन रहा है।

2. कुछ देर पहले मैंने उल्लेख किया था कि दिनांक 1-4-2003 से वैट कर प्रणाली लागू की जा रही है । राष्ट्रीय सहमति निर्माण करने में प्रारम्भ से मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने वैट लागू करने हेतु मध्यप्रदेश वैट विधेयक 2002 पारित किया । राष्ट्रपति जी की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् इस विधेयक को अधिनियम के रूप में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है।

3. वैट के तहत आम उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं के ऊपर अगले वर्ष से कर की दर कम होगी ।

उदाहरणार्थ, -

(1) आम उपभोक्ताओं के दैनिक उपयोग की वस्तुऐं जैसे कागज, चाय, काफी, स्किम्ड दूध पावडर, गद्दे छोड़कर कॉयर तथा कॉयर प्रोडक्ट, 100 रूपये से अधिक कीमत के प्लास्टिक फुटवियर, छपाई की स्याही, संसूचना उपकरण जैसे पी.बी.एक्स. तथा ई.पी.ए.बी.एक्स, सिलाई मशीन, जड़ी-बूटी जैसे - छाल, सूखी वनस्पति, सूखी जड़ आदि पर वाणिज्यिक कर की प्रभावी दर 9.2 प्रतिशत से घटकर 4

प्रतिशत रह जायेगी । वहीं टेलीप्रिंटर, वायरलेस आदि पर वाणिज्यिक कर की प्रभावी दर 13.8 प्रतिशत से कम होकर केवल 4 प्रतिशत रह जायेगी । दर कम होने से इन वस्तुओं का मूल्य कम होगा और उपभोक्ता इससे लाभान्वित होंगे ।

(2) किसानों के उपयोग में आने वाले उपकरण जैसे 3 हार्स पॉवर से अधिक क्षमता वाले सबमर्सिबल पंपिंग सेट्स तथा उनके पार्टस् तथा हारवेस्टर पर कर की प्रभावी दर 9.2 प्रतिशत से कम होकर केवल 4 प्रतिशत रह जायेगी । किसान, इन दरों की कमी से सीधे लाभान्वित होंगे।

(3) भवन निर्माण में काम में आने वाली सामान्य उपयोग की वस्तुऐं जैसे ईट, बांस, नेपा स्लेब, हेण्डपंप, डामर आदि पर कर की वर्तमान प्रभावी दर 9.2 प्रतिशत से घटकर केवल 4 प्रतिशत रह जायेगी । इससे मकान निर्माण की लागत में कमी आयेगी एवं आम लोगों को राहत मिलेगी ।

(4) औद्योगिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे - कुठाली (क्रूसीब), पल्प, इलेक्ट्रॉडस, फाईबर (काटन फाईबर तथा विस्कॉस फाईबर को छोड़कर) इण्डस्ट्रियल केबल, आदि पर कर की प्रभावी दर 9.2 प्रतिशत से घटकर केवल 4 प्रतिशत रह जायेगी । वहीं ट्रांसमीशन टॉवर तथा ओर एवं मिनरल्स पर कर की प्रभावी दर 13.8 प्रतिशत से कम होकर केवल 4 प्रतिशत रह जायेगी । दरों के इस परिवर्तन से औद्योगिक कच्चेमाल की लागत में कमी आयेगी और उपभोक्ताओं को निर्मित माल कम मूल्य पर मिलेगा ।

4. वैट के लागू करने के साथ-साथ हमने यह निर्णय लिया है कि वर्तमान में वाणिज्यिक कर पर जो सरचार्ज देय होता है, उसे समाप्त किया जाये । इस सरचार्ज की राशि से नगरीय एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को राशि उपलब्ध कराई जाती है । परंतु हम इन संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि में कोई कमी नहीं आने देंगे । इस हेतु प्रस्तावित है कि वर्तमान में पेट्रोल एवं डीजल पर वाणिज्य कर एवं सरचार्ज मिलाकर जो टैक्स का प्रभावी दर बनता है, उसे नई व्यवस्था में कायम रखा जावे । इसके लिए वैट अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जायेगा । इससे पेट्रोल एवं डीजल की कीमत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

5. इस महत्वपूर्ण मुद्दे का हमने गहन परीक्षण किया कि क्या वैट लागू करने एवं सरचार्ज खत्म करने से राज्य की आय में कमी आवेगी । वित्तीय विशेषज्ञों का मत है कि वैट प्रारंम्भ होने पर कर का आधार विस्तृत होगा तथा टैक्स की राशि में वृद्वि होगी । व्यवस्था जमने तक पहले के कुछ वर्षो में शासन को कुछ नुकसान संभावित है। इस संबंध में केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को आश्वासन दिया है कि पहले वर्ष में हानि का शत-प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत एवं तीसरे वर्ष में 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार राज्यों को भरपाई करेगी । अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी की वस्तुएं जैसे शक्कर, तम्बाकू एवं कपड़े पर राज्यों को टैक्स लगाने की अनुमति भारत सरकार देगी । केन्द्र इस बात के लिए भी सहमत है कि कुछ विशिष्ट सेवाओं का कर राज्यों को वसूल कर अपने पास रखने की अनुमति दी जाएगी । इस हेतु आवश्यक कानूनी कार्यवाही केन्द्र शासन करेगा ।

6. अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि टेलीफोन के किराये को, उपयोग करने के अधिकार का अंतरण मानते हुए उसपर वाणिज्यिक कर लगाया जा सकता है । अब प्रदेश में भी इस निर्णय का क्रियान्वयन किया जायेगा । अनुमान है कि इससे लगभग 40 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

7. केबल टी.वी. तथा वीडियो पार्लरों के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, जिससे सिनेमाघरों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है । यह आवश्यक है कि आम जनता के मनोरंजन के साधन कम कीमत पर उपलब्ध हो । अत: प्रस्तावित है कि मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन एक्ट 1936 के अंतर्गत राज्य शासन को यह अधिकार दिया जाए कि वह मनोरंजन शुल्क की दर औचित्यपूर्ण स्तर तक कम कर सकें । अप्रैल 2003 से नगर निगम के कार्य क्षेत्र में स्थित सिनेमाघरों के लिए यह प्रस्तावित है कि मनोरंजन शुल्क की दर 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत की जाए । नगरपालिका, नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत क्षेत्रों के लिए यह दर 40 प्रतिशत की जाएगी । मनोरंजन कर में कमी करने से हमारा विश्वास है कि कर के अनुपालन में सुधार आएगा ।

8. हमारे देश में निजी व्यक्तियों द्वारा धारित सम्पत्ति में महिलाओं का हिस्सा अत्यन्त कम है । अधिकांश सम्पति पुरूष के नाम से होती है । इस स्थिति में सुधार लाने के लिए हमने यह निर्णय लिया है कि यदि कोई सम्पति पुरूष के नाम धारित हो और वह इस संपत्ति में अपनी पत्नि या पुत्री को हिस्सेदार बनाना चाहता हो तो ऐसे अन्तरण का पंजीयन एक प्रतिशत मात्र के स्टाम्प शुल्क पर किया जा सकेगा ।

9. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह भी प्रस्तावित है कि जहां हस्तांतरित की जाने वाली सम्पत्ति का 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंश किसी महिला को हस्तांतरित किया जा रहा हो, वहां ऐसे दस्तावेजों के पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क की दर सामान्य से एक प्रतिशत कम होगी ।

10. सरलीकरण की दृष्टि से वृत्तिकर अधिनियम के अधीन संक्षिप्त कर निर्धारण की व्यवस्था प्रावधानित की जा रही है । नई व्यवस्था के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों/नियोजकों का कर निर्धारण होगा, जिनके द्वारा रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया हो या कर जमा नहीं कराया गया है । वृत्तिकर का संग्रहण निजी एजेन्सियों के माध्यम से किया जाना भी प्रस्तावित है, जिससे राजस्व संग्रहण में वृद्धि होगी तथा रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे । इस व्यवस्था से लगभग 20 करोड़ रूपये वार्षिक अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है ।

11. अध्यक्ष महोदय, देश के कुछ भागों में लागू व्यवस्था के अनुरूप प्रस्तावित है कि मालवाहक वाहनों के भारक्षमता के आधार पर विशेष टोकन जारी करते हुए शुल्क निर्धारित किया जाए । इस हेतु बिना अधिक भार पर समझौता किए वाहनों की भार क्षमता के अनुसार विशेष टोकन का शुल्क लागू किया जाएगा । इस व्यवस्था से जहां एक ओर निर्बाध रूप से मालवाही वाहनों का संचालन सम्भव होगा वहीं दूसरी ओर इस योजना के तहत शासन को 50 करोड़ रूपये का संभावित राजस्व अतिरिक्त रूप से प्राप्त हो सकेगा ।

12. वर्तमान में मेक्सीकेब श्रेणी के वाहनों को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश का परमिट देने की व्यवस्था नहीं है । यात्रियों को और सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से अब इस

श्रेणी के वाहनों को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश परमिट प्रदान किया जावेगा ताकि यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा । इस व्यवस्था से रूपये 60 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त होना संभावित है ।

अध्यक्ष महोदय,

13. अतिरिक्त संसाधन जुटाने के मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों से हमें अपेक्षा है कि अगले वर्ष लगभग 170 करोड़ रूपये अधिक आय होगी । शेष बचे घाटे की पूर्ति हम इस वर्ष कर के संग्रहण की अच्छी प्रगति को जारी रखते हुए, गैर आयोजना खर्च पर दृढ़ता से अंकुश लगाते हुए तथा मितव्ययिता के उपायों को निरन्तर रखते हुए, करेंगे।

14. अध्यक्ष महोदय, यह स्वाभाविक है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत पिछले नौ बजटों की विकास यात्रा का मैं स्मरण करूं । बजट में मध्यप्रदेश का जन समुदाय हमारा केन्द्र बिन्दु रहा है तथा हर क्षेत्र में की गई हमारी पहल तथा विभिन्न योजनाओं की मंशा प्रदेश का तेज गति से विकास करने की रही है । लगभग दस वर्षो से हमारी सरकार को इस सदन का लगातार विश्वास प्राप्त हुआ है । यही कारण है कि मध्यप्रदेश अब उन प्रदेशों की श्रेणी में आ पाया है, जिनका वित्तीय प्रबंधन बेहतर है । विभिन्न क्षेत्रों में हमने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है । यह इस कारण संभव हो पाया, क्योंकि हमारी सोच स्पष्ट थी तथा विकास के लिए हमने वित्तीय सुधार कार्यक्रम का दृढ़ता से पालन किया, भले ही यदाकदा हमें कठिनाई आयी । हमने आपके मार्गदर्शन से अपनी कर नीति का युक्तियुक्तकरण किया, सार्वजनिक उपक्रमों का सुधार किया तथा स्थापना व्यय नियंत्रित रखते हुए शासकीय कार्य की उत्पादकता बढ़ाई । इसके फलस्वरूप हम

पूंजी निर्माण एवं प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए अधिक संसाधन जुटा पाए । विकास की यह यात्रा जारी रखते हुए हमें निरंतर एक सुखी, समृद्ध एवं स्वस्थ समाज की ओर बढ़ते ही रहना है । प्रदेश की जनता तथा आप सभी के सहयोग से अपनी वचनबद्धता को पूर्ण करेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है ।

मुझे विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को हासिल करने में यह बजट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ।

है गुज़ारिश ज़माने से यही, प्रदेश में अमन की बरसात करें ।
न रहे कोई भूखा प्यासा, मिलकर ज़माने के ऐसे हालात करें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्यय का उपस्थापन करता हूं ।

--∞--